Cnms- 2021/51

फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

रामकुमार एड0 बनाम उपखण्ड अधिकारी,डीग

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 23 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01.03.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट रामकुमार ऐड0 वार्ड नम्बर 29, लोहिया बाजार नारानी मोहल्ला, डीग जिला भरतपुर की अपील उपखण्ड अधिकारी,डीग के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपनी अपील आवेदन के साथ पोस्ट ऑफिस की रसीद दिनांक 19.01.2021 की छाया प्रति संलग्न कर अंकित किया है कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी,डीग से सूचनाऐं चाही गई थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी, डीग द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ न तो उपखण्ड अधिकारी,डीग को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2021 की प्रति संलग्न की है और न ही अपनी अपील में यह अंकित किया है कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी,डीग से क्या क्या सूचना चाही गई हैं । अपील में वर्णित तथ्य अस्पष्ट होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । सूचना अपीलान्ट को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०	